प्र.सं. .... / धारा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]8/25	[illegible] है अभिभावकगण [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16.10.25 को [illegible]	
16/10/25	[illegible] है अभिभावकगण [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30.10.25 को पेश हो	
30/10/25	पत्रावली पेश हुई। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अपराधिनी को नाबालिगा [illegible] किया जाता है। विस्तृत बाद आसामी निरोधाज्ञा से पाबन्द किया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०मि० किया गया। बाद पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल [illegible] हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी–मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं0
33/प्रा.पत्र/2021

तारीख दायरा
01.04.2021

तारीख फैसला
30.10.2025

इन्द्रराज आयु 42 वर्ष आत्मज श्री अमरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति प्रेमबाई आयु 60 वर्ष पत्नी श्री अमरलाल जाति मीणा नि. गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी
2. अमरलाल आयु 73 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जाति मीणा नि. ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी
3. धर्मराज आयु 32 वर्ष आत्मज श्री अमरलाल जाति मीणा नि. ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी
4. मुरारी आयु 28 वर्ष आत्मज श्री अमरलाल जाति मीणा नि. ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी
5. रघुवीर आयु 28 वर्ष आत्मज श्री अमरलाल जाति मीणा नि. ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब, तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।
7. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।
8. रामेश्वर मीणा आत्मज श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी छरकवाडा हाउस, गेट नम्बर 3, रजत गृह कोलोनी, बूंदी तहसील एवं जिला बूंदी राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री हिम्मत सिंह
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2138 /1869 रकबा 1.6187 है0 ग्राम देवरिया पटवार हल्का तालाब बरधा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजरथान में स्थित हैं, जो जमाबंदी सम्वत् 2076 की खाता संख्या नई–94 में खातेदार के स्थान पर अप्रार्थी क्रम–1 श्रीमती प्रेम बाई पत्नि श्री अमरलाल जाति मीणा निवासी गोविन्दपुर बावडी दर्ज हैं। कृषि भूमि खसरा संख्या 450/58 रकबा 0.0728 है0, खसरा संख्या 607/42 रकबा 0.4856 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5584 है० वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित हैं जो वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या–4 में खातेदार के स्थान पर अप्रार्थी क्रम–2 का नाम दर्ज हैं। अप्रार्थी क्रम–1 प्रार्थी की माता हैं तथा अप्रार्थी क्रम–2 प्रार्थी के पिता हैं, अप्रार्थी क्रम–3 लगायत 5 प्रार्थी के छोटे भाई हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम–1 लगायत 3 ग्राम गोविन्दपुर बाबडी के स्थायी निवासी हैं, जिनके पूर्वज ग्राम गोविन्दपुर बावडी के निवासी रहे हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी 2 लगायत 5 के पूर्वजों की कृषि भूमि खसरा संख्या–42, 58, 69 मिन, 157, 191 कुल किता 5 कुल रकबा 47 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित थी, जिसमें अप्रार्थी क्रम–2 अमरलाल एवं उनके भाईयों में आपस मे बंटवारा होने के पश्चात् भूमि खसरा संख्या–42/1 रकबा 08 बीघा, खसरा संख्या–58/4 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी अप्रार्थी क्रम–2 के हिस्से में आयी, इस प्रकार अप्रार्थी क्रम– 2 को यह भूमि विरासत में उनके पिता से प्राप्त हुई हैं, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी 2 लगायत 5 का जन्म से ही अधिकार निहित था। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–3 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या–42/1 (शुद्ध खसरा नम्बर–335/42) रकबा 08 बीघा, खसरा संख्या–58/4 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी मे से अप्रार्थी क्रम–2 अमरलाल द्वारा भूमि खसरा संख्या–335/42 रकबा 08 बीघा में से दक्षिणी और की 05 बीघा कृषि भूमि 24,00,000 /– रूपये के प्रतिफल रामभरोस आ0 श्री जानकीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सोरसण तहसील अन्ता जिला बांरा राजस्थान को बैचान कर क्रेता के पक्ष में विक्रय पत्र

क्र 09/06/2015 को निष्पादित कर उक्त तिथी को ही विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक महोदय, तालेडा जिला बून्दी के कार्यालय में करवा दिया हैं। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर-608/42 रकबा 0.8094 ग्राम गोविन्दपुर बावडी हैं, जो वर्तमान में क्रेता रामभरोस के नाम जमाबंदी में दर्ज हैं। अप्रार्थी क्रम-2 श्री अमरलाल के पूर्वजों से प्राप्त कृषि भूमि खसरा संख्या-42/1 (शुद्ध खसरा नम्बर-335 /42) रकबा 08 बीघा, खसरा संख्या-58/4 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी में से 05 बीघा कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09/ 06 /2015 से बैचान करने के उपरान्त ग्राम गोविन्दपुर बावडी में अप्रार्थी क्रम-2 के खाते में शेष भूमि खसरा संख्या-450/58 रकबा 0.0728, खसरा संख्या-607/42 रकबा 0.4856 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5584 शेष रहा हैं, जिसका अंकन प्रार्थना पत्र की चरण क्रम-3 में किया गया हैं। अप्रार्थी क्रम-2 ने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त कृषि भूमि ग्राम गोविन्दपुर बावडी में से खसरा संख्या-335/42 रकबा 08 बीघा मे से दक्षिणी और की 05 बीघा भूमि 24,00,000/-रु के प्रतिफल स्वरूप श्री रामभरोस आ0 श्री जानकीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सोरसण को बैचान का सौदा किया तथा प्रार्थना पत्र की चरण क्रम-2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या- 2138/1869 रकबा 10 बीघा ग्राम देवरिया तहसील तालेडा जिला बून्दी अपनी पत्नि श्रीमती प्रेमबाई अप्रार्थी क्रम-1 के नाम से क्रय की हैं। अप्रार्थी क्रम-2 ने अप्रार्थी क्रम-1 के नाम से क्रय की गई 10 बीघा कृषि भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 30/ 09/2014 को विक्रेतागण से निष्पादित करवाकर उपपंजीयक महोदय, तालेडा जिला बून्दी के कार्यालय में पंजीकृत करवा लिया है। अप्रार्थी क्रम-1 के नाम से क्रय की गई 10 बीघा कृषि भूमि पक्षकारान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम-1 लगायत 5 के संयुक्त हिन्दू परिवार के द्वारा पूर्वजों से प्राप्त कृषि भूमि के कृषि लाभ से प्राप्त आय एवं पूर्वजों से प्राप्त कृषि भूमि को विक्रय पत्र दिनांक 09/06/2015 से बैचान कर प्राप्त की गई प्रतिफल राशि से क्रय की गई कृषि भूमि हैं। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम-1 लगायत 5 का संयुक्त एवं समान हिस्सा हैं। अप्रार्थी क्रम-2 ने यह कृषि भूमि अपनी पत्नि अप्रार्थी क्रम-1 के नाम इसलिए क्रय की थी कि तत्समय महिला को विक्रय पत्र में 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट थी। यही कारण हैं कि अप्रार्थी क्रम-1 के नाम ग्राम देवरिया में 10 बीघा कृषि भूमि क्रय की गई हैं। जिसमें भी प्रार्थी का 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थी 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा निहित हैं। अप्रार्थी क्रम-2 ने ग्राम गोविन्दपुर बावडी की बैचान की गई 5 बीघा भूमि की विक्रय राशि 24,00,000 /-रु में से 10,00,000/-रु की प्रार्थना पत्र की चरण क्रम-2 में वर्णित कृषि भूमि को अप्रार्थी क्रम-1 श्रीमती प्रेम बाई के नाम से क्रय करने के पश्चात् शेष 14,00,000/ -रु अक्षरे चौदह लाख रूपयें अप्रार्थी क्रम-2 अमरलाल ने स्वयं के पास रख लिऐ हैं और परिवार पर खर्च नही कियें हैं, इस कारण प्रार्थना पत्र की चरण क्रम-2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी क्रम-2 अमरलाल कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही रहा हैं। उक्त प्रकार से प्रार्थना पत्र की चरण क्रम-2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि में से प्रार्थी 1/5 हिस्सा एवं अप्रार्थी क्रम-1 व 3 लगायत 5 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा निहित हैं। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त हैं कि वह प्रार्थना पत्र की चरण क्रम-2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियों में स्वयं को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करवायें तथा खातेदार के स्थान पर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपना नाम 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज करवायें तथा विधिवत् बंटवारा करवाकर बटवारे में प्राप्त प्रार्थी के हिस्से की भूमि स्वतंत्र खाते दर्ज करवाये तथा भूमि पर स्वतंत्र दखल प्राप्त करें । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से दिनांक 25/03/2021 को प्रार्थना पत्र की चरण क्रम-2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा दर्ज करवाने एवं बंटवारा करवाने का आग्रह किया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी से लड़ाई-इगड़ा करने लगे, प्रार्थी से अप्रार्थी क्रम-1 लगायत 5 ने धक्का-मुक्की की तथा विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी के हक से इंकार कर दिया तथा अप्रार्थी क्रम-1 व 2 ने प्रार्थी को धमकी दी की वह सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैचान एवं भारग्रस्त कर देगें तथा प्रार्थी की फूटी-कोडी भी नही देगें। अप्रार्थीगण विवादित भूमि को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त करने की धमकी देते हैं, यदि अप्रार्थीगण अपने कृत्य में सफल हो जावेगें तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से सम्भव नही होगी। इस कारण प्रार्थी को अधिकार प्राप्त हैं कि वह अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवाये कि वह प्रार्थना पत्र की चरण क्रम-2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नही करें । वाद विचारण में काफी समय लग जाने की सभावना है इस कारण अप्रार्थी क्रम-1 व 2 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं कि वह प्रार्थना पत्र की चरण क्रम- 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि को रहन बैचान एवं भारग्रस्त नहीं करें। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित है तथा सुविधा संन्तुलन का भार भी प्रार्थी के पक्ष मे है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त एवं हस्तान्तरण कर देगें। इस कारण प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगी। इस कारण अपूर्णीय क्षति भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने की सूरत में प्रार्थी को ही होगी। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्य नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त उनवान का वाद पेश करना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 2138/ 1869 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके ग्राम देवरिया पटवार हल्का तालाब बरधा में विस्थित होना स्वीकार है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी क्रम 1 की खातेदारी में दर्ज नही है। रामेश्वर मीणा उक्त भूमि का खातेदार है। जिसको उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 व 4 में वर्णित इबारत स्वीकार है। प्रार्थी ने अपनी पारिवारिक जरूरतो को पूरा करने के लिये प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 2 अमरलाल के हिस्से में आई भूमि में से प्रार्थी ने स्वंय के हिस्से की भूमि को जर्य पिता बेचान कर दिया जिसकी प्रतिफल राशि भी प्रार्थी ने ही प्राप्त की थी। इसलिये शेष भूमि में से प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थी सं. 2 अमरलाल ने अपने हिस्से की 8 बीघा भूमि मे से पारिवारिक जरूरतो व खर्चो के कारण 4 बीघा भूमि का ही बेचान रामभरोश को किया था। तथा 1 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थी की खर्चो एवं जरूरतों को पूरा करने के लिये प्रार्थी की सहमति से अप्रार्थी सं.2 के द्वारा बेचान किया गया, बेचान की प्रतिफल राशि प्रार्थी ने ही प्राप्त की थी। ग्राम देवरिया की भूमि खसरा सं. 2138/ 1869 रकबा 10 बीघा अप्रार्थी सं. 1 की स्त्रीसम्पदा है जिसका अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा बेचान किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज नही है। विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बगैर प्रार्थी उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थी ने उक्त भूमि के वर्तमान खातेदार को उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया है जो कि वाद पत्र का आवश्यक पक्षकार है। आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण हिन्दू विधि से शासित नही है बल्कि अनूसूचित जन जाति के व्यक्ति है जिन पर हिन्दू विधि लागू नहीं होती है तथा प्रार्थी जन्म से ही किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार वाद ग्रस्त सम्पति पर नहीं रखता है और ना ही किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी वाद ग्रस्त आराजी का खातेदार नही है। इसलिये वाद ग्रस्त आराजी पर बँटवारा प्राप्त करने का अधिकारी नही है और ना ही वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है। प्रार्थी का वाद ग्रस्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है इसलिये वाद ग्रस्त आराजी पर बँटवारा एवं अधिकार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। और ना ही प्रार्थी के पक्ष में वाद प्रस्तुती का वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अप्रार्थी वाद ग्रस्त आराजी के खातेदार है जिनको वाद ग्रस्त आराजी को रहन बेचान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी का वाद ग्रस्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी ने तथ्यो को छिपाकर यह वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है । प्रार्थी के वाद पत्र में जाँच के लिये कोई सारवान प्रश्न अर्न्तनिहित नही है। विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को महज तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो प्रथम दृष्ट्या खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यो के आधार पर यह वाद पत्र पेश किया है जो सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने खसरा सं. 335/42 वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी में से अपने घर खर्च हेतु पैसो की आवश्यकता होने के कारण 1 बीघा भूमि का बेचान जबरन अपने पिता अमरलाल से करवा दिया था जिसकी प्रतिफल राशि भी प्रार्थी ने ही प्राप्त की थी। इसके बाद प्रार्थी ने एक इकरार नामा दिनांक 13.07.2015 को अपने भाईयो के पक्ष में लिखकर दिया था जिसमें प्रार्थी ने अपने हिस्से का मकान धर्मराज व मुरारी मीणा को जो कि प्रार्थी के भाई है को बेचान कर दिया तथा इसी इकरार नामा में प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया था कि प्रार्थी के हिस्से की भूमि प्रार्थी ने बेचान कर दी है। प्रार्थी का पिता की सम्पति में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त इकरार नामा में वर्णित तथ्य को छुपाकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज फरमाने की कृपा करे।

जवाब अप्रार्थीगण प्रस्तुत करने पर प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर दौराने वाद अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वाद वर्णित आराजी में से बेचान की गई भूमि के क्रेता को पक्षकार बनाने हेतु प्रा0पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 8 बनाया गया। अप्रार्थी सं0 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी सं0 8 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं 1 लगायत 5 वाद वर्णित आराजी में प्रार्थी के हिस्से को भी प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से बेचान करने पर आमादा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त हैं कि वह प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियों में स्वयं को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करवायें तथा खातेदार के स्थान पर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपना नाम 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज करवायें तथा विधिवत् बंटवारा करवाकर बटवारे में प्राप्त प्रार्थी के हिस्से की भूमि स्वतंत्र खाते दर्ज करवाये तथा भूमि पर स्वतंत्र दखल प्राप्त करें । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से दिनांक 25/03/2021 को प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा दर्ज करवाने एवं बंटवारा करवाने का आग्रह किया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी से लड़ाई–इगड़ा करने लगे, प्रार्थी से अप्रार्थी क्रम–1 लगायत 5 ने धक्का–मुक्की की तथा विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी के हक से इंकार कर दिया तथा अप्रार्थी क्रम–1 व 2 ने प्रार्थी को धमकी दी की वह सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैचान एवं भारग्रस्त कर देगें तथा दौराने वाद ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वाद वर्णित आराजी में से वाद पत्र की चरण सं0 2 में वर्णितभूमि का बेचान कर दिया गया है,जिसके क्रेता को जर्ये प्रा0 पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश कर पक्षकार बनाया गया है अप्रार्थीगण विवादित भूमि को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त करने की धमकी देते हैं, यदि अप्रार्थीगण अपने कृत्य में सफल हो जावेगें तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से सम्भव नही होगी। इस कारण प्रार्थी को अधिकार प्राप्त हैं कि वह अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवाये कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नही करें । वाद विचारण में काफी समय लग जाने की संभावना है इस कारण अप्रार्थी क्रम–1 व 2 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं कि वह प्रार्थना पत्र की चरण क्रम– 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि को रहन बैचान एवं भारग्रस्त नहीं करें। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित है तथा सुविधा संन्तुलन का भार भी प्रार्थी के पक्ष मे है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त एवं हस्तान्तरण कर देगें। इस कारण प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगी। इस कारण अपूर्णीय क्षति भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने की सूरत में प्रार्थी को ही होगी। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफेसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अपनी बहस के समर्थन में प्रार्थी की ओर से नजीर आरआरडी 1992 पेज नं. 304 पंचया बनाम प्रतिभा देवी एवं आरआरडी 1993 पेज नं. 206 बउनवान राधेश्याम बनाम लक्ष्मीनारायण पेश की।

वकील अप्रार्थी 1 लगायत 5 ने अपने जवाब प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को महज तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यो के आधार पर यह वाद पत्र पेश किया है जो सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने भूमि खसरा सं. 335/42 वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी में से अपने घर खर्च हेतु पैसो की आवश्यकता होने के कारण 1 बीघा भूमि का बेचान जबरन अपने पिता अमरलाल से करवा दिया था जिसकी प्रतिफल राशि भी प्रार्थी ने हीं प्राप्त की थीं। इसके बाद प्राथी ने एक इकरार नामा दिनांक 13.07.2015 को अपने भाईयो के पक्ष में लिखकर दिया था जिसमें प्रार्थी ने अपने हिस्से का मकान धर्मराज व मुरारी मीणा को जो कि प्रार्थी के भाई है को बेचान कर दिया तथा इसी इकरार नामा में प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया था कि प्रार्थी के हिस्से की भूमि प्रार्थी ने बेचान कर दी है। प्रार्थी का पिता की सम्पति में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त इकरार नामा में वर्णित तथ्य को छुपाकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष सूनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी वाद वर्णित आराजी पर पैतृक सम्पति होने से एवं पैतृक सम्पति से अर्जित कृषि भूमि पर अपने जन्मजात अधिकार को अर्जित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका निर्धारण वाद विचरण के दौरान साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर निर्धारित होगा। जिसमें समय लगना सम्भावित है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का विवेचन करने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। वाद वर्णित आराजी चरण सं0 2 व 3 में प्रार्थी अपना हक अधिकार प्राप्त करना चाहता है यदि वाद वर्णित आराजी का रहन बेचान अथवा हस्तान्तरण हो जाता है तो प्रथम दृष्टया सुविधा में प्रार्थी को नुकसान होगा एवं वाद वर्णित आराजी से प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त करने में असुविधा उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित

है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष हुआ एवं प्रमाणित है कि वाद विचरण के दौरान वाद पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी का अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं. 8 को बेचान किया गया है। यदि शेष भूमि चरण सं0 3 का भी बेचान अप्रार्थीगण द्वारा दिगर व्यक्ति को कर दिया जाता है तो प्रार्थी का वाद करने का उददेश्य भी समाप्त हो जावेगा एवं वाद में लिटिगेशन बढेगा। वाद वर्णित आराजी का दिगर व्यक्ति अथवा वितिय संस्था को रहन बेचना एवं हस्तान्तरण किया जाता है तो अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से लाभ भी अप्रार्थीगण को होगा एवं प्रार्थी अपने हक अधिकार की भूमि से वंचित होगा। ऐसी स्थित में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विचार करने पर प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वाद वर्णित आराजी का रहन बेचान अथवा हस्तान्तकरण न तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे। वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे ना अन्य से करावें। पत्रावली मूलवाद के साथ संलग्न की जाकर बाद पुर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा